उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 1164/XXX(2)/2011
देहरादूनः दिनांक 07 सितम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 45(एस/बी)/2011 विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिये जाने विषयक उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 की धारा 3(7) को निरस्त किये जाने की याचना की गई है। याचिका में सुनवाई करते हुए मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2011 को पारित अपने आदेश में राज्य सरकार को इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में मा. सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एम. नागराज व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में दिये गये निर्णयानुसार राज्यों द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण इस हेतु बाध्यकारी कारणों यथा– पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव, के सम्बन्ध में संगत सूचना एवं तथ्यों का संकलन कराने के उपरान्त ही दिया जाना चाहिये, किन्तु उत्तराखण्ड में प्रोन्नति में आरक्षण देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित आंकड़े एकत्रित करते हुए नीतिगत निर्णय लेने की कार्यवाही किया जाना विदित नहीं होता। अतः राज्य सरकार आगामी 6 माह के अन्दर मा. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय के आलोक में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराकर न्यायालय को अवगत करायें और तब तक के लिए याचिका में सुनवाई स्थगित रहेगी।

2. मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही के निमित्त शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रकरण में निहित विभिन्न महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्दिष्ट सूचना संकलन/मूल्यांकन के लिए आवश्यक मानकों तथा प्रक्रिया के निर्धारण के विषय पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करते हुए समिति के परामर्श से अग्रेत्तर सूचना संकलन/मूल्यांकन का कार्य कराकर प्रश्नगत विषय पर समिति की संस्तुति प्राप्त कर ली जाय और इस प्रकार प्राप्त संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेकर मा. उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाय।

3. तद्क्रम में प्रश्नगत प्रयोजन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

(1) श्री इन्दु कुमार पाण्डे,
भूतपूर्व मुख्य सचिव (सम्प्रति एकल सदस्यीय
उच्चस्तरीय समिति, पेयजल विभाग) **अध्यक्ष**

(2) डा. बी.के.जोशी,
भूतपूर्व कुलपति, कुमायूँ विश्वविद्यालय **सदस्य**

(3) श्री सुबर्द्धन, **सदस्य**
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखंण्ड शासन।

4. उक्त समिति को आरक्षण सम्बन्धी शासन द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित अभिलेखीय सूचनाओं के संकलन में **श्री आर.सी.लोहनी, संयुक्त सचिव**, उत्तराखण्ड शासन तथा आरक्षण के विषय पर मा. उच्च न्यायालय एवं मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित निर्णयों के संकलन एवं उनकी व्याख्या में **श्री धर्मेन्द्र अधिकारी, संयुक्त सचिव**, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समिति को अपेक्षित सहयोग सुलभ कराया जायेगा।

5. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों में से गैर सरकारी अध्यक्ष/सदस्य को शासन स्तर पर इरला चैक के माध्यम से नियत वेतन/मानदेय का भुगतान निम्नवत् किया जायेगाः–

(i) **श्री इन्दु कुमार पाण्डे** वर्तमान धारित पद (अध्यक्ष, एकल सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति, पेयजल) के सापेक्ष 'अन्तिम वेतन–पेंशन' के सिद्धान्त अनुसार वेतन प्राप्त

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–102 NP/XXVII(5)/2011 दिनांक 07.9.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव

संख्या 1164 (1)/XXX(2)/2011 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महाधिवक्ता उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. श्री इन्दु कुमार पाण्डे, भूतपूर्व मुख्य सचिव (सम्प्रति एकल सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति, पेयजल विभाग)
5. डा. बी.के.जोशी, भूतपूर्व कुलपति, कुमायूँ विश्वविद्यालय।
6. श्री सुबर्द्धन, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री आर.सी. लोहनी, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री धमेन्द्र अधिकारी, संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त (वे.आ.–सा.नि.)अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
12. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव